आरटीआई प्रकटीकरण

1. संगठन और कार्य

क्र.सं.	**मद**	**प्रकटीकरण का विवरण**	**सूचना/ प्रासंगिक वेब लिंक**
1.1	संगठन, इसके कार्यों और कर्तव्यों का विवरण [धारा 4(1)(ख)(i)]	(i) संगठन का नाम और पता	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) सीआईएन:L65910DL1986GOI024862 पंजीकृत कार्यालय: ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस , नई दिल्ली - 110001, भारत वेबसाइट: www.pfcindia.com टेली : +91 11 23456000, फैक्स: +91 11 23412545.
		(ii) संगठन के प्रमुख	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)
		(iii) विजन, मिशन और मुख्य उद्देश्य	पीएफसी का विजन और मिशन निम्नलिखित लिंक पर दिया गया है :- https://www.pfcindia.com/Home/VS/5
			पीएफसी के संगम ज्ञापन में निहित प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार दिए गए हैं: - **क. कंपनी की स्थापना के उद्देश्य** 1. नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से विद्युत सहित किसी भी रूप की विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण या आपूर्ति से संबंधित परियोजनाओं, गतिविधियों या निर्माण, अपग्रेडेशन, नवीनीकरण, सुधार, रखरखाव, मरम्मत, आधुनिकीकरण, संशोधन, प्रतिस्थापन, संवर्धन आदि का वित्तपोषण करना। 2. इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, स्टैंडअलोन या जो बड़ी परियोजनाओं

			जैसे लिफ्ट सिंचाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, स्मार्ट सिटी, रेलवे लाइन के विद्युतीकरण आदि की परियोजनाओं का हिस्सा हैं, के निर्माण, अपग्रेडेशन, नवीनीकरण, सुधार, रखरखाव, मरम्मत, आधुनिकीकरण, संशोधन, प्रतिस्थापन, संवर्धन आदि के विद्युतीकरण कार्यों सहित परियोजनाओं, गतिविधियों या कार्यों का वित्तपोषण करना। 3. सह-उत्पादन/त्रि-उत्पादन/कम्बाइन्ड हीट एवं पावर, वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम, ई-वाहन (वाहनों) और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना सहित ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और विद्युत के पर्यावरणीय पहलुओं संबंधी परियोजनाओं, गतिविधियों, योजनाओं का वित्तपोषण करना। 4. नवीकरणीय ऊर्जा और संबद्ध क्षेत्रों सहित विद्युत क्षेत्र में आवश्यक पूंजीगत उपकरण (उपकरणों) के निर्माण के लिए यूनिटों की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण, प्रचालन, रखरखाव के लिए परियोजनाओं का वित्तपोषण। 5. खंड ए1 में शामिल विद्युत परियोजनाओं के साथ फॉरवर्ड या बैकवर्ड लिंकेज वाली परियोजनाओं, कार्यों और गतिविधियों इसमें विद्युत क्षेत्र के लिए ईंधन या अन्य ईंधन आपूर्ति व्यवस्था के रूप में उपयोग के लिए कोयला और अन्य खनन गतिविधियों (ओं) के विकास सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, रेलवे लाइन (ओं), सड़क (ओं), पुल (ओं), बंदरगाह (ओं), जेट्टी (ओं) और बंदरगाह (ओं), गैस पाइपलाइन (ओं), गैस टर्मिनल (ओं) और ऐसे अन्य समर्थकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए सुविधा(ओं) जो खंड ए1 में शामिल एक विद्युत परियोजना के लिए

आरटीआई प्रकटीकरण

			आवश्यक हो सकती है, का वित्तपोषण करना। 6. किसी भी परियोजना, गतिविधि, या खंड ए1 से ए4 में शामिल कार्य पर अध्ययन, सर्वेक्षण, जांच, अनुसंधान के लिए वित्तपोषण करना और खंड ए1 से ए5 तक किसी भी कंपनी के व्यावसायिक हित को बढ़ावा देने के लिए परामर्श, प्रशिक्षण आदि सहित किसी भी गतिविधि को पूरा करना। 7. लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों को भारत सरकार द्वारा अनुमत सीमा तक ऋण देना
		(iv) निगम के कार्य और कर्तव्य	पीएफसी का संक्षिप्त प्रोफाइल निम्नलिखित लिंक पर दिया गया है **https://www.pfcindia.com/Home/VS/4**
			पीएफसी द्वारा दिए जा रहे उत्पादों और सेवाओं को निम्नलिखित लिंक पर दिया गया है:- **https://www.pfcindia.com/Home/VS/10**
		(v) संगठन चार्ट	पीएफसी का संगठनात्मक चार्ट नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है: - **https://www.pfcindia.com/Home/VS/82**
		(vi) कोई अन्य विवरण- समय-समय पर विभाग और	**(ए) कंपनी के गठन के बारे में:** कंपनी के गठन के बारे में संक्षिप्त जानकारी निम्नलिखित लिंक पर दी गई है:-

आरटीआई प्रकटीकरण

		विभागाध्यक्षों की उत्पत्ति, स्थापना, गठन के साथ-साथ समय-समय पर गठित समितियों/आयोगों पर विचार किया गया है।	**<u>पीएफसी के गठन के बारे में संक्षिप्त जानकारी</u>** पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है जिसकी स्थापना जुलाई 1986 में एक वित्तीय संस्थान (FI) के रूप में की गई। पीएफसी विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए समर्पित है और संसाधनों को दिशा देते हुए किफायती, विश्वसनीय और कुशल प्रणालियों का विकास सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय प्रौद्योगिकी और प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करके विद्युत और संबद्ध क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। निगम को 1990 में कंपनी अधिनियम 2013 (पूर्व में 1956) की धारा-4 क के तहत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) घोषित किया गया था। निगम को 1998 में आरबीआई द्वारा एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत किया गया था। पीएफसी विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। पीएफसी को अक्तूबर, 2021 में 'महारत्न सीपीएसई' की उपाधि से सम्मानित किया गया था और 28 जुलाई, 2010 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। पीएफसी एक वैश्विक संस्था के रूप में भारत के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्यतः, किसी देश के विकास का आकलन उसके ऊर्जा उपयोग को मापकर किया जाता है। हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा, दुर्भाग्यवश, अभी भी बिजली तक पहुंच से वंचित है, आने वाले वर्षों में पीएफसी एक महत्वपूर्ण कारक बन जाएगा।

आरटीआई प्रकटीकरण

			(बी) विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष जानकारी निम्नलिखित लिंक पर दी गई है:- https://www.pfcindia.com/Home/VS/50
			(सी) समितियां पीएफसी की बोर्ड स्तरीय समितियों का विवरण नीचे दिए गए लिंक पर दिया गया है:- https://www.pfcindia.com/Home/VS/10231